बिहार सरकार
उद्योग विभाग।

सकल्प

विषय: कृषि यंत्र निर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में विकास करने हेतु सरकार कृतसंकल्पित है। औद्योगिक विकास के क्रम में उद्योगों की स्थापना हेतु प्रश्रय देने की सरकार की नीति रही है। विगत एग्रो बिहार, 2013 के दौरान राज्य में कृषि यंत्रों के लिए व्यापक बाजार को देखते हुए राज्य में कृषि यंत्र निर्माण ईकाइयों की स्थापना हेतु उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए नीति बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। राज्य के विशाल कृषि संसाधन के उपयोग एवं आधुनिकीकरण के लिए कृषि यंत्र ईकाइयों का विकास करने, राज्य में आधुनिक कृषि यंत्र ईकाइयों को विकसित करने एवं कृषि कार्य में इनका उपयोग बढ़ाने, कृषि यांत्रिकीकरण के विस्तार, उन्नयन और मूल्यवर्द्धन के लिए आधुनिक तकनीक लाकर लघु एवं मध्यम उद्यम ईकाई को वैल्यू चेन में उपर लाने, कृषि यंत्र निर्माताओं को चिन्हित कर कलस्टर का विकास करने जिससे केन्द्र सरकार की विभिन्न कलस्टर योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा हो, के उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए राज्य में कृषि यंत्र निर्माण ईकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त पूंजीगत सहायता उपलब्ध कराने हेतु कृषि यंत्र निर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

2. सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार के द्वारा कृषि यंत्र निर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह योजना बिहार राज्य औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के शेष अवधि में प्रभावी होगा। अगले प्रोत्साहन नीति में इसे एकीकृत किया जाय।

3. **कृषि यंत्र निर्माण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र निर्माण करने वाली औद्योगिक ईकाइयों को निम्नवत प्रोत्साहन सुविधाएँ देय होंगी:–**

(i) कृषि यंत्र निर्माता ईकाइयो को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अनुसार उत्पादन पूर्व (Pre-production) सुविधाओं के अन्तर्गत स्टाम्प डयूटी एवं पंजीकरण में छूट/ प्रतिपूर्त्ति, भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में छूट एवं उत्पादन पश्चात (Post production) सुविधाओं के अन्तर्गत परियोजना प्रतिवेदन प्रोत्साहन, भू–खण्ड शेड पर दी जाने वाली सुविधाएँ, तकनीकी जानकारी शुल्क पर सहायता, कैप्टिव पावर जेनरेशन/डीजल जेनेरेटिंग सेट पर अनुदान, विद्युत अनुदान के मद में Monthly Minimum Charge/ Minimum Base Energy Charge/ Demand/Billing Charge में छूट, वैट एवं प्रवेश कर की प्रतिपूर्त्ति, केन्द्रीय बिक्री कर (C.ST.), विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्त्ति से संबंधित प्रोत्साहन देय होगा।

(ii) **पूँजीगत अनुदान:–**

कृषि यंत्र निर्माण करने वाली औद्योगिक ईकाइयों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 में देय पूँजीगत अनुदान से भिन्न पूँजीगत अनुदान राज्य सरकार द्वारा देने का निर्णय लिया गया है। कृषि यंत्र निर्माण करने वाली ईकाई अब औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 में घोषित पूँजीगत अनुदान की सुविधा इस नीति के लागू होने के बाद प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

(क) कृषि यंत्र निर्माण करने वाली नई ईकाइयाँ यथा Micro, Small, Medium तथा Large ईकाइयों को उनके द्वारा स्थापित की गई ईकाई के अचल पूँजी निवेश, जिसमें कारखाना, भवन, मशीन प्लांट, विद्युतीकरण, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, एफ्लूएण्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट, क्वालिटी कन्ट्रोल पर किए गए पूँजी निवेश का 35% (पैंतिस) पूँजीगत अनुदान देय होगा। Micro, Small एवं Medium प्रक्षेत्र की ईकाइयों के लिए इस अनुदान की अधिकतम सीमा 5 (पाँच) करोड़ तथा वृहत् प्रक्षेत्र (Large Scale) के लिए अधिकतम सीमा 10 (दस) करोड़ होगा।

पेटेन्ट प्राप्त कृषि यंत्रो के निर्माण के लिए स्थापित ईकाइयों को 50% की दर से पूँजीगत अनुदान देय होगा, जिसकी अधिकतम सीमा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र के लिए 7.5 (साढ़े सात) करोड़ रूपए एवं वृहत् प्रक्षेत्र के लिए 15.00 (पन्द्रह) करोड़ रूपए होगी।

(ख) यह पूँजीगत अनुदान इस नीति के प्रभावी होने की तिथि के बाद उत्पादन में आए उद्योगों द्वारा कारखाना, भवन निर्माण, मशीन एवं प्लांट, विद्युतीकरण, वेयर हाउसिंग, एफ्लूएण्ट ट्रीटमेण्ट प्लांट, क्वालिटी कन्ट्रोल पर किए गए पूँजी निवेश पर देय होगा। यह सुविधा ईकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् देय होगी।

(iii) <u>विस्तार / विशाखन / आधुनीकीकरण करने वाली ईकाई को सुविधाः–</u>

ऐसी कृषि यंत्र निर्माता विद्यमान ईकाइयाँ जो अपनी क्षमता का विस्तार/ विशाखन/ आधुनिकीकरण करते हैं तो ऐसी ईकाइयों को भी इन्क्रीमेन्टल उत्पादन के लिए स्थापित किए गए कारखाना, भवन निर्माण, प्लांट एवं मशीन, विद्युतीकरण के पूँजी निवेश पर यह अनुदान देय होगा। साथ ही विस्तार/ विशाखन/ आधुनिकीकरण करने वाली ईकाइयों को इस नीति में घोषित अनुदान/ सहायता मात्र विस्तारित उत्पादन (Incremental Production) पर देय होगा।

विस्तार/ विशाखन/ आधुनिकीकरण की परिभाषा एवं शर्त्तें जो औद्योगिक नीति 2011 में घोषित है इस नीति पर भी लागू होगी।

(iv) <u>कृषि यंत्रों के परीक्षण शुल्क/ गुणवत्ता प्रमाणन शुल्क पर अनुदानः–</u>

कृषि यंत्र निर्माता ईकाइयों को उनके द्वारा निर्मित मशीनों का जाँच एवं गुणवत्ता संबंधी प्रमाण पत्र सरकार द्वारा निर्धारित जाँच करने वाली संस्थाओं से प्राप्त करना होता है जिसके लिए ईकाइयों को संबंधित जाँच एजेन्सी को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि कृषि यंत्रों का राज्य के अंदर कृषि विश्वविद्यालय से परीक्षण/ गुणवत्ता प्रमाणन कराने पर भुगतान किए गए शुल्क का 100% राशि का भुगतान संबंधित संस्था को किया जाएगा। जबकि राज्य के बाहर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से परीक्षण/गुणवत्ता प्रमाणन कराने पर भुगतान किए गए शुल्क का 90% राशि का भुगतान संबंधित संस्था को किया जाएगा, लेकिन जो कृषि यंत्र परीक्षण में सफल नहीं होते हैं उन्हें यह शुल्क सरकार द्वारा नहीं दी जायेगी।

(v) पात्रताः–

(i) इस नीति के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दी गई सूची में उल्लेखित कृषि यंत्र एवं उनके पार्ट पुर्जे निर्माण करने वाली ईकाइयाँ पात्र होंगी।

(ii) कृषि यंत्र निर्माण की सहायक ईकाइयों में केवल कृषि यंत्र के वैसे पार्ट पुर्जे के निर्माताओं को मान्यता दी जाएगी जो पुर्जे निर्धारित सूची के कृषि यंत्रो के निर्माण के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र उपयोग में नहीं लाये जाते हों जैसेः– कल्टीवेयर टाईन, कल्टीवेटर फाली, रोटोवेटर फाली, सीड ड्रील फ्लूटर, एलीवेटर फाली, हैरो डिस्क, कटर ब्लेड (गड़ांसा), रीपर ब्लेड इत्यादि। इन ईकाइयों द्वारा किये गए दावों के सत्यापन के लिये पार्ट–पुर्जे की उपयोगिता का अंतिम रूप से निर्धारण राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के कृषि यंत्र विभाग द्वारा किया गया मान्य होगा। नट–बोल्ट, बेयरिंग, हाउजिंग, पुल्ली एवं बेल्ट आदि इसके वंचित सूची में होंगे।

(vi) अनुश्रवण एवं समीक्षाः– एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सभी संबंधित विभाग एवं संगठन इस नीति के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु यथा आवश्यक अधिसूचनाएँ निर्गत करेंगे जो इस नीति के प्रभावी होने की तिथि से लागू होगा। राज्य सरकार द्वारा इसका समुचित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा, जिससे राज्य सरकार इस नीति की मध्यावधि समीक्षा कर सके। इस नीति के संबंध में यदि किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए प्रधान सचिव उद्योग विभाग सक्षम प्राधिकार होंगे।

क्रमशः पृष्ठ–3

4. इस योजना पर होने वाले व्यय का वहन मांग संख्या–23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102– औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष–0160–प्री–प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड–P2852801020160 राज्य योजना स्कीम कोड–IND–5432 विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी में उपबंधित बजट से किया जाएगा।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(नवीन वर्मा)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 2/उ०नि०/वि (कृ०यं०नी०)–14–05/2014/ 4092 पटना, दिनांक 24.9.14

प्रतिलिपिः– परिशिष्ट–I सहित उप सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2/उ०नि०/वि (कृ०यं०नी०)–14–05/2014– 4092 पटना, दिनांक 24.9.14

प्रतिलिपिः– परिशिष्ट–I सहित महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित् ।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2/उ०नि०/वि (कृ०यं०नी०)–14–05/2014– 4092 पटना, दिनांक 24.9.14

प्रतिलिपिः– परिशिष्ट–I सहित सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/ निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण, बिहार, पटना/ निदेशक, हस्तकरधा एवं रेशम, बिहार, पटना/ कार्यकारी निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/ कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/ महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

Desk /sujeet/rakesh sir 03

परिशिष्ट–1

क्र0 सं0	यंत्र का नाम
1	ट्रैक्टर
2	पावर टीलर
3	पैडी ट्रांसप्लांटर (सेल्फ प्रोपेल्ड)
4	पैडी ड्रम सीडर
5	कोनोवीडर/वीडर
6	पावर वीडर
7	मार्कर
8	पडलर
9	हैपी सीडर
10	पम्प सेट डीजल/इलेक्ट्रिक
11	स्प्रेयर/डस्टर मानव चालित
12	स्प्रेयर/डस्टर (शक्ति चालित)
13	स्प्रेयर/डस्टर (ट्रैक्टर माउन्टेड)
14	ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर
15	कम्बाईन हार्वेस्टर (सेल्फ प्रोपेल्ड/ट्रैक्टर ऑपरेटेड
16	रीपर–कम–बाइंडर
17	जिरोटिलेज/सीड–कम–फर्टिलाइजर
18	रबड़ राईस मिल/दाल मिल/ऑयल एक्सपेलर
19	विशेष शक्ति चालित यंत्र (रोटावेटर, आदि)
20	मानव चालित/पशु चालित यंत्र
21	लेजर लैंड लेवलर
22	स्टबल शेभर/ड्रायर
23	सिंचाई पाईप
24	शक्ति चालित चेन सॉ
25	प्रुनर
26	मोबाईल फुट हार्वेस्टर
27	सुगरकेन हार्वेस्टर
28	कस्टम हायरिंग सेन्टर
29	स्ट्रा वेलर कम रैक
30	स्ट्रा रीपर
31	पावर थ्रेसर/मेज सेलर
32	पैडी थ्रेसर (मानव चालित)
33	सब सॉयलर
34	विनोवर/पैडी क्लीनर
35	सीड ट्रीटमेंट ड्रम
36	पोटैटो डीगर/पोटैटो प्लांटर
37	रेज्डबेड प्लांटर
38	सुगरकेन केंटर/प्लांटर
39	शक्ति चालित यंत्र (चैफ)
40	शैलो ट्यूबवेल्स
41	सीड ड्रील
42	मल्टीक्रॉप प्लांटर
43	चलन्त स्प्रिंकलर रेन मन